RAJYA SABHA

Friday, the 30th August, 1996/ the 8th Bhadra, 1918 (Saka)

The House met at eleven of the clock MR. CHAIRMAN *in the chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पर्यावरण नीति का बनाया जाना

401. **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण**: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चार दशक के नियोजित विकास के बाद भी देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के अनुरूप कोई 'पर्यावरण नीति' नहीं बनायी है;

(ख) यदि हां, तो इसके विशिष्ट कारण क्या है; और

(ग) [illegible] इस संबंध में क्या विशेष उपाय [illegible] रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) से (ग) श्रीमन् यह सही नहीं है कि देश की सामाजिक और आर्थिक विकास की [illegible] के अनुरूप सरकार की पर्यावरण पर [illegible] नीति नहीं है। पर्यावरण पर [illegible] के अनुरूप समय-समय पर सरकार ने पॉलिसी स्टेटमेंन जारी किये हैं। जैसे प्रदूषण में कमी होने के लिए सरकार ने वर्ष 1992- में पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया था। राष्ट्रीय संरक्षण कार्य नीति तथा पर्यावरण और विकास पर पॉलिसी स्टेटमेंट वर्ष 1992 में घोषणा की थी। तीसरा राष्ट्रीय वन नीति 1988 में घोषित की गई। यह कहना कि सामाजिक और आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुरुप पर्यावरण पर कोई नीति नहीं है, यह सही नहीं है।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण: आनरेबल चेयरमैन साहब, मैं मिनिस्टर साहब से यह पूछना चहता हूं कि इनको शायद मालूम ही होगा 1992 में ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था इनवार्यनमेंट की प्रोब्लम को हल करने के लिए और बड़े-बड़े देश इस सम्मेलन में शामिल हुए। पानी, हवा, जंगल और जानवर आदि इन सभी मुद्दों पर बहुत गहरा विचार हुआ। मैं यह जानना चाहता हूं कि इनवायर्नमेंट को साफसुथरा रखने के लिए भारत सरकार ने क्या-क्या उपाय किये हैं, कौन-कौन से कानूनी उपाय किये है। आपने बोर्ड बना दिये, कमेटीज़ बना दी लेकिन इनसे कोई संतुष्टी नहीं होती। आपने कौन से उपाय किये हैं और उन पर कितना अमल हुआ है, यह बताने की जरूरत है। आपने यह बताया कि 1992 में पालिसी स्टेटमेंट जारी किया गया, इससे हमें तसल्ली नहीं हुई। आपने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना दिया, बोर्ड ने क्या किया है? कमेटीज़ बना दी है, कमेटीज़ ने क्या किया है? बहुत सी नान गवर्नमेंटल एजेंसीज़ है, आर्गेनाइज़ेशंस हैं, इन एजेंसियों ने क्या-क्या उपाय किये हैं, यह बताने की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि 1992 में जो प्रोग्राम बनाया गया था, भारत केनेडा और बड़े-बड़े देश उसमें शामिल हुए थे, उसमें जिन मुद्दों पर अमल हुआ उसका क्या तरीकाकार अपनाया गया, कौन-कौन से तरीके थे, इनवायर्नमेंट को ठीक करने के लिए क्या-क्या किया गया था और जो किया गया था उस पर हमारी सरकार ने क्या अमल किया है?

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद: श्रीमन् पर्यावरण के संरक्षण के लिए कानून बनाए गए। 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक्ट बनाया गया। 1986 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट बनाया गया।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण: सर, मैं यह पूछना [illegible] कि क्या-क्या नहीं बनाया गया है। क्या-क्या अमल हुआ यह बताने की कोशिश कीजिए। ये तो बने हुए है। जो आपने बनाया है उस पर अमल क्या किया है।

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद: इसमें अमल करने के लिए हर एक स्टेट में स्टेट प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया है। सैंट्रल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया है। इसके बाद यूनियन टेरिटरीज में भी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया है। समय-समय पर नीतियां बनती आई हैं जैसे वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए 1995 में हमने जितने भी बड़े शहर है—बम्बई, कलकत्ता मद्रास—यहां पर कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाना अनिवार्य कर दिया है। 1995 के बाद और 1995 से कोई भी नया पेट्रोल चालित व्हीकिल जो बिना कैटेलिटिक कन्वर्टर के होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उसके लिए लेडलेस पैट्रोल मिले इसके लिए दिल्ली में पैट्रोल पम्पस खोले गए। पहले 1995 से 30 खुले थे। 1996 में बढ़कर 156 हो गए। इसी तरह से 1998 में हर एक स्टेट की हर एक राजधानी में लेडलेस पैट्रोल का प्रावधान किया जाएगा। 1-4-2000 ईस्वी से

पूरे देश में लैडलेस पैट्रोल के हर एक जगह पैट्रोलि पम्प लग जाएंगे। बिना कन्वर्टर के कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी। कन्वर्टर लग जाने के बाद लेड वाले पैट्रोल से गाड़ियां नहीं चलेंगी। इसी तरह का प्रावधान डीजल पर भी किया गया है। उसको कम करके 5 पर लाया गया है।

श्री अजीत जोगी: बहुत हो गया।

MR. CHAIRMAN: Your second supplementary please.

श्री मोहिन्दर सिंह कल्यांण: आनरेबुल चेयरमैन साहब, वजीर साहब ने सिर्फ यह बताया कि हमने यह किया है, हमने पैट्रोल पम्प लगा दिए, हमने वह किया। लेकिन जो लगा दिया, जो पैट्रोल की आपने एजेंसीज लगायी, यह नहीं बताया कि कब जे एजेंसी बनायीं और इन एजेंसीज ने क्या-क्या काम किए, यह भी बताने की जरूरत है। हम यह जानना चाहते हैं कि दिल्ली शहर में जहां पर हम सब लोग रहते हैं वहां पर पाल्यूशन कंट्रोल के लिए क्या-क्या किया है। हमारे लूधियाना पंजाब की मंडी, गोविन्दगढ़ और जगराव में एक वाकयात हुआ कि पाल्यूशन की वजह से 12 आदमी एक रोज मर गए। मैं आनरेबुल मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट जो आप बहुत [illegible] हुए हैं उनसे कुछ काम भी होते हैं [illegible] के लिए? यह मैं पूछना चाहता हूं। ये वह जवाब तो नहीं दे रहे हैं और जवाब में यह बात करते हैं कि यह हो गया, यह [illegible] दिया, वह कर दिया। यह तो बात नहीं है।

MR. CHAIRMAN: This is his second supplementary.

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : जो कानून भारत सरकार से बनते हैं उनको लागू करने के लिए स्टेट गवर्नमेंटस में स्टेट प्रदूषण कंट्रोल बोर्डस की स्थापना की गयी है। यह स्टेट्स की रिस्पांसिबिलिटी है कि जो भारत सरकार के कानून बने उन्हें सही रूप से लागू करें। स्टेट में भी हम लोगों जैसे चुने हुए लोग हैं जिनके द्वारा वहां की सरकार चलायी जा रही है। तो अगर सदस्य महोदय को कोई स्पेसेफिक चीज़ की जानकारी लेनी हो और उसके लिए वे कहेंगे तो मैं उन्हें दे दूंगा।

SHRI PREM CHAND GUPTA: Sir, we had, in fact, 75 million hectares of forest land which was 22% of our land area. Between 1982 and 1992 and it got reduced to 19% and it is shrinking further. With this shrinking forest area, are we taking adequate steps to ensure that our flora and fauna which has been a part of our cultural heritage is protected? It is being said that the Government is unable to do something about saving threatened species.

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : [illegible] हमारी राष्ट्रीय वन नीति 1978 में घोषित की गई जिसमें ग्रामीण लोगों के लिए जलावन की लकड़ी, चारे व अन्य वन पदार्थों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कहा गया। उसके साथ-साथ हमें जो वन नीति के अनुसार 1/3 जमीन में बन लगाना चाहिए हमारे पास कमी आई है। कमी आई है तो मात्र आपके पूर्वोत्तरी साइड में ही कमी आई है और बाकी सभी जगहों में वनों के एरिया में बढ़ोत्तरी आई है जो आसाम, मेघालय, मिजोरम की परिस्थिति हमारे सभी सदस्य महानुभावों को पता है कि हम इस स्थिति में वहां पर जा रहे हैं, जंगल को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगें इसके लिए जे०एफ०एम० ज्वाइंट फारेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत ग्राम स्तर पर विलेज फारेस्ट प्रोटैक्शन कमेटी की स्थापना की गई है। आज तक पूरे देश में 12 हजार कमेटियां स्थापित हो चुकी हैं। ज्यादा से ज्यादा बन लगें इसके लिए इन [illegible] सहयोग से इनके देख-रेख में क्योंकि [illegible] आस-पास में वन में रहने वाले है जब वे समझेंगे कि ये वन हमारे है इससे हमको फायदा होता है, इससे हमारा जीवन-यापन होता है तो निश्चित तौर पर वे वन बचा कर रखेंगे। यही नीति सरकार ने अपनायी है।

SHRI V. NARAYANASAMY: Hon. Chairman, Sir, the Ministry of Environment and Forests has brought out a policy on environment and especially on forests. Whenever new industries on a big scale are started, whether Government or private, they are given provisional clearance with the understanding that the industries would be doing afforestation in the nearby area equivalent to the area given for the industry. The order has been flouted. In order to keep the environment in a non-pollutant state, certain regulations are to be followed. These are being flouted. Take, for example, Mangalore—I am giving a very small example—where sea coast has been polluted because of the new industries coming up there. That is the situation even in the other areas like Cochin coastal area.

When the industries are not following the guidelines, the Ministry of Environment and Forests is not taking any steps to close down those industries. These should be environment friendly and people friendly. Even then this Ministry is not taking any action for political reasons. I am saying, Sir, it is for political reasons. I would like to know from the Government whether those industries who are not following the directions given by the Ministry of Environment would be closed down. Now the Supreme Court has come in the way. The tanneries have been closed by the Supreme Court and not by this Ministry. I would like to know from the hon. Minister whether the Ministry will take strong action against those industries which are violating the environmental norms. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI MARGARET ALVA: Sir, in Mangalore all the waste is released into the sea by the big industries. All the oil spills are there in the sea.

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : महानुभाव, जब से यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री संभाली है, हमारे माननीय सदस्य को जानकारी होनी चाहिए कि इस मिनिस्ट्री के पास जो भी कम्प्लेंट्स आती है, उन को सख्ती से देखा जाता है। हाल ही में आप ने देखा है कि सिम्भौली सुगर मिल ने प्रदूषण फ़ैलाया और उस को हम ने बंद किया।

SHRI V. NARAYANASAMY: What are your Regional Offices doing? ...(*Interruptions*)...

SHRI AJIT P.K. JOGI: Please listen to the Minister.

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद: मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह बहुत दिन से राज्य सभा में होगें, लेकिन कितनी कम्प्लेंट्स इन्होंनें अपनी तरफ से की है? जब से मैं बैठा हूं, महानुभाव की तरफ से एक भी कम्प्लेंट हमारे पास नहीं आई है।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, this is not the question. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI MARGARET ALVA: I am sorry, Sir. ...(*Interruptions*)... This is not the question. Sir, we are not taking about the Minister. He may come and go tomorrow. That is not the question. The question is: What is the Minister doing for the coastal areas, for protecting them against this kind of thing? People pay money to the officials and to the committees and get away with doing anything they want. ...(*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY: They are starting industries without getting the final clearance. ...(*Interruptions*)... Why is the Ministry not following the environmental norms in these cases? Sir, the Minister says that I should make a complaint. Why should I make a complaint? ...(*Interruptions*)... It is his duty to close down those industries which are polluting the environmnet. Why is the Minister asking me to make a complaint? ...(*Interruptions*)...

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : सभापति महोदय, जहां किसी सदस्य को तकलीफ है, तो वह बोलेंगे ही। सभापति महोदय मेरा कहना है कि [illegible] स्टेट को यह पावर [illegible] है, [illegible] को [illegible] कंट्रोल पावर है जिसे वह सब चीज देखना है। हर स्टेट में इलेक्टेड बॉडीज हैं और वहां भी हम लोगों जैसी इलैक्टेड बॉडीज द्वारा शासन किया जा रहा है। महोदय, एक सवाल पहले भी आया था कि जितना वन चाहिए, वह नहीं लगाया जा रहा है। उस पर हम ने कड़ाई से गौर किया है और जो सरकार ने पहले से लायसेंस दिया है, परमीशन दी है वहां के लिए अगर वह पालन नहीं करते हैं ...(**व्यवधान**)...

SHRI V. NARAYANASAMY: He is answering everything except my question.

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : अभी हाल ही में फॉरेस्ट ऑफिसर्स और फॉरेस्ट मिनिस्टर्स की बैठक दिल्ली में बुलायी गयी थी जिस में दो दिन बैठकर गहन तरीके से विचार-विमर्श हुआ है कि स्थिति में किस तरह से सुधार लाया जाये और भी बहुत से पॉईंट्स आए है जिन पर विचार किया जाएगा।

MR. CHAIRMAN: I think we have extracted all possible answers from the Minister ...(*Interruptions*)... Now, Question No. 402. ...(*Interruptions*)... Just one minute please.

SHRI SATCHIDANANDA: Sir, regarding this question, I have an important point to make ...(*Interruptions*)... Sir, generally, I do not put questions. ...(*Interruptions*)... Please allow me for one minute. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Okay ...(*Interruptions*)...

SHRI SATCHIDANANDA: Sir, implementation of the environment laws is a very important programme. The Government has got many policies on this subject. But, awareness of this problem of environment has to be popularised among the people.

For that I would like to ask if there is any programme of the Government to popularise and create awareness among the people of this country about the environmental issue because peoples cooperation is very much needed. Has the Government got any programme, through the media, to create any awareness? If so, have you made any Budgetary provision for this purpose? I want a specific answer from the Minister. This is very important.

MR. CHAIRMAN: For creating awareness among the people; have you any programme?

SHRI SATCHIDANANDA: Sir, popularisation and awareness among the people through the media ....(*Interruptions*)...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: The old policy is being carried out ....(*Interruptions*)...

SHRI SATCHIDANANDA: Let them have a new policy to create awareness. We are not coming in the way of that ....(*Interruptions*)... No. They are here to create new policies for that.

CAPT. JAI NARAYAN PRASAD NISHAD: This Ministry has been organising the National Environment Awareness Campaign every year since 1986 with the aim of creating environmental awareness at all levels of society. The Campaign also addressed other environmental issues such as soil conservation, people's action and role in waste utilisation, environmental education, awareness and communication, fuel, fodder, zoo education, conservation and captive breeding of endangered species, wildlife protection, etc.

SHRI SATCHIDANANDA: Through the media, Mr. Minister. I want through the media. Have you got any Budgetary provision for this to popularise and create awareness among the people through the media? Media, please.

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषादः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चाह रहे होंगे कि फिल्म के द्वारा हम जानकारी लोगों को दें, लेकिन वह मीडिया कारगर मीडिया नहीं है। जहां अवेयरनैस चाहिए वहां लोग जंगल में रह रहे हैं, ग्राम में रह रहे हैं, टी॰ वी॰ वहां सब जगह पहुंचा हुआ नहीं है, उस पर हमने अभी रोक लगाई है, जब तक हम जानकारी नहीं ले लेते। हमने सुना है कि एक फिल्म बनाने में 70-80 लाख रुपया लग जाता है, तो वह सब रोककर के अगर हम तरह-तरह की किताबें हो, इंस्ट्रक्शनन्स हों उन्हें गांव-गांव में और स्कूल-स्कूल में बंटवाकर के प्रचार करेंगे तो वह ज्यादा कारगर हो सकता है। जहां तक हमारी नीति और सिद्धान्त है उसके तरह बहुत बड़ा पोस्टर टाइप बनाकर के, जो बिगड़े नहीं, उसमें देवी-देवताओं का फोटो लगाकर ऐसे बनाएंगे कि हरेक आदमी अपने घर में उसे रखे, सुबह उठे तो सीधे उसे देखे, इससे प्रचार-प्रसार में कोई कमी नहीं आएगी, ऐसा मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा।

MR. CHAIRMAN: Question No. 402 ...(*Interruptions*)... Question Number 401 is over. I have called Question Number 402 ...(*Interruptions*)...

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Now, we are on the sports ground.

Functioning of SAI

*402. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government will reorganise and restructure the Sports Authority of India (SAI) in view of pathetic per-